

25-07-2024

पत्रावली पेश हुई। आवाज
दिलवाई गई। वादी व प्रतिवादीगण की
ओर से असालतन व वकालतन कोई
उपस्थित नहीं आया। इसलिये पत्रावली
अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज
की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर
दर्ज नम्बर से उम हो तथा बाद वकालत
दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरे ईजलास
सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर खण्डसा
मु० रीगस (सीकर)